"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 जनवरी 2018 — माघ 5, शक 1939

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2018

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-14/2012/स. क./26. — राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना नियम 2012 यथा संशोधित 2014 में निम्नानुसार और संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. नियम - 10 की परिशिष्ट (एक) में तीर्थस्थानों की सूची के सरल क्रमांक - 18 के पश्चात् निम्नलिखित और जोड़ा जाए :-

19. शबरी माला, गुरुवायूर, इट्टूमन्नूर मंदिर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.